

सहायक तहसीलदार/ नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

सुकदमा नम्बर..... 68 /2017

अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

अनुवादन :- राज्य सरकार बनाम..... जगदीश प्रसाद
निर्णय

दिनांक :- 31.1.18

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रवली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का समन्दसर अंतर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट. 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि गैर सायल जगदीश प्रसाद पुत्र/पत्नी श्री लिच्छमण राम जाति जाट निवासी समन्दसर द्वारा ग्राम समन्दसर के आराजी खसरा नम्बर 620 तादादी 8:30 हैक्टेयर किस्म भूमि ग.मु. खारानी भूमि में से 8:30 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्बत् 2074 में नाजायज ग्वार मोठ काश्त अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल बावजूद विधिवत नोटिस तामिल के असालन व वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध दिनांक 24.1.18 को ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर ग्वार मोठ काश्त कर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व सम्बन्धित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल जगदीश प्रसाद का उक्त खसरा नंबर 620 तादादी 8:30 हैक्टर ग.मु. खारानी भूमि में से 8:30 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल जगदीश प्रसाद अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल जगदीश प्रसाद पुत्र/पत्नी श्री लिच्छमण राम जाति जाट को ग्राम समन्दसर के खसरा नम्बर 620 तादादी 8:30 हैक्टेयर गै.मु. खारानी भूमि में से 8:30 हैक्टेयरा/वर्गमीटर भूमि का संबत् 2074 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 8:30 रुपये का 50 गुणा से 415 रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्वा लेखाकार का मांग कायमी, पटवारी हल्का का शास्ती राशि वसुली एवं हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रुप से बेदखल एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.1.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से क्रम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

पत्र 2017-18 के तले पके हुए 3 पा
शब्द 41. 415 रु मांग कायमी की गई।
T.R.O.


तहसीलदार/नायब तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)